

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं-242/2024

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0-E(NG)I-2008/PM1/15 Vol-III dt. 07.06.2010 (RBE No. 81/2010) में दिए गए निर्देशों के आलोक में वाणिज्य विभाग के निम्नलिखित Sr. TE, Level-5 as per 7th CPC से TTI, Level-6 as per 7th CPC के पद पर पदोन्नति हेतु सुयोग्यता जाँच में उपयुक्त पाये जाने, DAR/SPE/Vig केस से मुक्त होने एवं पदोन्नति में बाधक सजा नहीं होने के उपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से उनके नाम के सामने दर्शाये गये वेतन मैट्रिक्स में पदोन्नति का लाभ प्रदान करते हुए कार्यस्थल में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है:-

Sl. No.	Name of Employee (Shri)	Name of Post, Pay & working place	After Promotion		
			Post	Pay Level	Working Place
01	Ranjeet Kumar	Sr. TE, Level-5 PCCM Squad/ECR/HJP	TTI	Level-6	PCCM Squad/ ECR/HJP
02	Manoj Kumar	Sr. TE, Level-5 PCCM Squad/ECR/HJP	TTI	Level-6	PCCM Squad/ ECR/HJP

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 PC-VII/2016/I/2 दिनांक-31.07.2017 (RBE No. 79/2017) के अनुपालन में यदि कर्मचारी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण निचले वेतनमान की अगली वार्षिक वेतनवृद्धि तिथि से कराना चाहते हो तो वे अपना विकल्प एक माह के अन्दर इस कार्यालय को दें।

निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा एवं एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

Signed by

Manoj Kumar Choudhary

Date: 18-10-2024 18:02:33

सकाधि/ईएसएम

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर

दिनांक-18.10.2024

सं0- ECR-HQ0PERS(COML)/16/2024

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित:-

01. प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर।
02. प्रदेस/पूमरे/हाजीपुर।
03. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/पूमरे/डीडीयू।
04. सकाधि(बिल)/पूमरे/हाजीपुर।
05. कार्यालय आदेश प्रति।
06. कर्मचारी के व्यक्तिगत मिसिल।